संख्या-102/2023/653/001-23-10-2023-53-सा0/2022

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 22 मई, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत बांदा क्षेत्र के कुल 02 सेतुओ के चालू निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत बांदा क्षेत्र के कुल 02 सेतुओ के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 **348.34** लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 **274.45** लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 **73.89** लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र 0 सं0	मुख्य अभियन्ता (1-मु0), लोनि0वि00, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष -202324 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं57-0	अनुदान सं83-0	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	4030/सी0ई0- एस0ई0बी0/ आर0आई0बी0/बी0ए0एन0/2023-24 दिनांक 01.05.2023	प्रा0ख0 बांदा	यमुना नदी/बबेरू – मरका मार्ग पर मरका घाट सेतु के पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक कार्य	**125/2021 282रासनि/ 21-21-108रासनि/ 20 दि0 25.03.2021**	8779.57 1750.90 1169.99	---	1750.90	1242.93	507.97	457.17	265.00	71.34	336.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र 0 सं0	मुख्य अभियन्ता (1-मु0), लोनि0वि00, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष -202324 में प्रस्तावित आवंटन		
											अनुदान सं57-0	अनुदान सं83-0	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	3948/सी0ई0- एस0ई0वी0/ आर0आई0वी0/बी0एच0एल0/2023-24 दिनांक 28.04.23	प्रा0ख0 बांदा	जनपद बॉदा में ममसी (कमासिन) के पास ओरा ममसी मार्ग पर बागेन नदी पर सेतु का निर्माण कार्य	**73/2020 437-23-0-20-88(सेतु)/2015 दि0 26.06.2020-**	2476.80 950.60 950.60 451.21	0.00	950.60	953.60	15.00	15.00	9.45	2.55	12.00
			योग :-				**2701.5**	**2196.53**	**522.97**	**472.17**	274.45	73.89	348.34

अवमुक्त धनराशि रू0 348.34 लाख (रूपये तीन करोड अडतालीस लाख चौतीस मात्र)

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

(1) **उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।**

(2) **राज्य योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।**

(3) **उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।**

(4) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या** -2/2023/**बी**-1-227/**दस**-2023-231/2023, **दिनांक** 17 **मार्च**, 2023 **में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(5) **उक्त तालिका के स्तम्भ** -5 **में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।**

(6) **लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त** (आय-व्ययक) **अनुभाग**-1 **के शासनादेश सं**.-10/2022/**बी**-1-345/**दस**-2022, **दिनांक** 04.05.2022 **निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग**-6 **में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक** 04.05.2022 **में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,74,45,000 (रुपये दो करोड चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य 2) रुपये 73,89,000(रुपये तिहत्तर लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 505047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- **यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-**102/2023/653/001-23-10-2023-53-सा0/2022**, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
(6) **मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
(7) **संबंधित कोषाधिकारी।**
(8) **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।**
(9) **राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।**
(10) **श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।**
(11) **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।